गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ, गाजियाबाद

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत डीड ऑफ डिक्लरेशन जमा न करने वाले समस्त विकासकर्ताओ को सूचित किया जाता है कि उ0 प्र0 अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 की धारा–12 एवं नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–33826/12 मै0 डिजाईन आर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 व अन्य बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पारित आदेश दिनांक 14.11.2013 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त स्वीकृत होने वाले मानचित्रों में एक माह व लागू होने से पूर्व स्वीकृत मानचित्र के प्रकरणों में न्यायालय के निर्णय पारित होने की तिथि से 90 दिन के अन्तर्गत नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप–क पर घोषणा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिस सम्बन्ध में प्राधिकरण उपाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2013 को समाचार प्रत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी तथा सक्षम प्राधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कई पत्र एवं अनुस्मारक भेजे गये और समय–समय पर बैठकें भी आहूत की गयी। फिर भी कुछ विकासकर्ताओं द्वारा डीड ऑफ डिक्लरेशन उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 14.11.2013 के प्रस्तर 65(8) के अनुपालन में ऐसे समस्त विकासकर्ताओं को Limited Common Area and facilities तथा Independent Area के सम्बन्ध में Disentitle करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे 30 दिन के अन्दर उपरोक्त क्षेत्रों से अपना कब्जा हटाते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन विकासकर्ताओं द्वारा डीड ऑफ डिक्लरेशन प्रस्तुत कर दिया गया है वह प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का शपथ प्रत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा प्रदत्त घोषणा पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और इसमें किसी भी विचलन की स्थिति में कार्यवाही हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सक्षम प्राधिकारी (अपार्टमेन्ट एक्ट)
गाजियाबाद

वेबसाईट : www.gdaghaziabad.com, हैल्पलाईन: 0120- 6450580
एसएमएस, व्हाट्सएप : 9818988807, ई–मेल : helplinegda@gmail.com
फेसबुक : vcgda.ghaziabad@yahoo.in

एक सुन्दर शहर – हमारा संकल्प